सं. 1/13/2/2008-मंत्रि.
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2008

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों की कार्यवाहियां रिकार्ड करते समय प्रयुक्त की गई शब्दावली के संबंध में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों की कार्यवाहियों के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए शब्द **''आस्थगित''** के बिल्कुल सही अर्थ के बारे में संदेह व्यक्त किए गए हैं। बहुत से मामले में **''आस्थगित''** शब्द को गलती से **''मुल्तवी''** शब्द के समानार्थक मान लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में कोई भ्रम न हो, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों की कार्यवाहियों के संदर्भ में **''आस्थगित'' शब्द यह जतलाता है कि मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति ने मामला निपटा दिया है और विषय से संबंधित टिप्पणी मंत्रिमंडल सचिवालय के पास अथवा मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के पास लंबित नहीं है। अतः संबंधित मंत्रालय/विभाग को मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति के विचार के लिए एक नई टिप्पणी प्रस्तुत करनी होगी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाता हो।** अतः **''आस्थगित''** रूप में दर्ज किया गया निर्णय **''मुल्तवी''** रूप में दर्ज किए गए निर्णय के समान नहीं है। बाद के मामले में अर्थात् जब निर्णय **''मुल्तवी''** दर्ज किया जाता है, मामला लंबित रहता है और मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति के समक्ष पुनः रखा जाएगा और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उस विषय पर नई टिप्पणी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण का कृपया सभी संबंधितों में सूचनार्थ प्रचार करने का कष्ट करें।

हस्ता/-

(के.एल. शर्मा)
निदेशक (मंत्रिमंडल)
दूरभाषः 23015802

सेवा में,